रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273594
CG-DL-E-18062026-273594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3067]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948
No. 3067]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2026

का.आ. 3189(अ).— चूँकि, वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 2001 (जिसे आगे उक्त आदेश कहा गया है) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के तहत जारी किया गया है;

और चूँकि, हथकरघा क्षेत्र देश के ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उक्त आदेश केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वस्त्र आयुक्त को हथकरघा उद्योग के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान करने का अधिकार देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हथकरघा उद्योग को पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्यों पर हैंक के रूप में यार्न उपलब्ध हो और इस उद्देश्य के लिए, वस्त्र उद्योग, सभी संबंधित संघों, महासंघों, फर्मों, व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, परिषदों, निकायों, सहकारी समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जा सके;

और चूँकि, वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 2001 की धारा 8 और 11 से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, दिनांक 17.04.2003 को अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003 जारी किया गया था, जिसे दिनांक 21.04.2003 को भारत के राजपत्र (भारत के राजपत्र) के भाग-I - खंड 1 में प्रकाशित किया गया था और जो कि अधिसूचना संख्या

04/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31.03.2010, अधिसूचना संख्या 05/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 02.09.2015, अधिसूचना संख्या 06/टीडीआरओ/8/2018 दिनांक 25.05.2018 और अधिसूचना संख्या 7/टीडीआरओ/6/2019 दिनांक 07.03.2019 के द्वारा संशोधित की गई थी;

अतः, वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 की धारा 8 तथा 11 द्वारा प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा दिनांक 17.04.2003 की अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ/8/2003 को, उसके अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा किए जाने से रह गए कार्यों के संबंध में प्रभाव को अप्रभावित रखते हुए, अधिक्रमण करते हुए, वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर तथा लोकहित में, वस्त्र उद्योग द्वारा अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्:—

2. **परिभाषाएं.** – इस अधिसूचना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, -

(क) "कैप्टिव खपत" का अर्थ है यार्न बनाने वाले द्वारा कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए यार्न की खपत, जो बुनाई या लूम शेड या ऐसे निर्माता के निटिंग विभाग में की जाती है;

(ख) "तिमाही अवधि" का अर्थ है एक वर्ष में जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून की अवधि;

(ग) "अंतरिती मिल" का तात्पर्य यह मिल जिसने अपनी हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से अधिक हैंक यार्न पैक किया है और जो उस सीमा तक जिस तक उसने अधिक पैंकिंग किया है अन्य मिल की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की कमी को स्वीकार करके पूरा करना चाहता है।

(घ) "अंतरितक मिल" का तात्पर्य वह मिल है जिसकी हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कमी आई हो और जो बाध्यता में आई उक्त कमी को अन्य मिल जिसने अपनी बाध्यता से अधिक हैंक यार्न पैंक किया है को हस्तांतरण द्वारा उक्त हैंक यार्न बाध्यता की कमी को दूर करना चाहता है।

(च) "यार्न" का अर्थ पूर्णत: रूई या उसके अपशिष्ट से बनाए गए या काते गये यार्न, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट नहीं होगा:-

(i) होजियरी यार्न;

(ii) सिलाई का धागा;

(iii) औद्योगिक यार्न, जैसे टायर कोर्ड, मल्टीपल यार्न (2 प्लाई वाले यार्न से अधिक) जैसे समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा परिभाषित किया गया है;

(iv) विभिन्न काउन्टों के मिश्रित यार्न, कॉप बॉटम् से उतारी रुई तथा एकल काउंट के यार्न कॉप बॉटम से उतारी गई यार्न जिसके छोर खुले हो अथवा कम लंबाइयों पर गाँठे हो;

(छ) "घरेलू खपत के लिए पैक किया गया यार्न" का मतलब है घरेलू बाज़ार में बिक्री के लिए पैक किया गया यार्न, और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: -

(i) यार्न तथा कपडे के उत्पादक दोनों के मामले में, भारत में वितरण, हस्तांतरण और बिक्री के लिए पैक किया गया यार्न जो एक्सपोर्ट और 'माने गए निर्यात' को छोड़कर, जैसा कि लागू निर्यात और आयात नीति में बताया गया है, जो खुद की खपत के लिए इस्तेमाल किए गए यार्न से ज़्यादा हो; चाहे कताई, बुनाई या निटिंग यूनिट या विभाग एक ही जगह पर हों या नहीं;

(ii) केवल यार्न के उत्पादन के मामले में, प्रवृत्त आयात-निर्यात नीति में परिभाषित किये अनुसार निर्यात व भावी (डीम्ड) निर्यात के अलावा भारत में वितरण, अंतरण तथा बिक्री के लिए उसके द्वारा पैक किया गया यार्न;

(ज) इस अधिसूचना में प्रयोग किए गए वे शब्द और वाक्यांश, जिनकी परिभाषा यहाँ नहीं दी गई है लेकिन जो वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 2001 में परिभाषित हैं, उनका वही मतलब होगा जो उस आदेश में बताया गया है।

3. तिमाही विवरणी जमा करना. – यार्न का प्रत्येक उत्पादक, इस अधिसूचना को संलग्न परिशिष्ट-I में विहित प्रावधानों के अनुपालन में यार्न के पैकिंग से संबंधित वास्तविक एवं सही जानकारी वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा यार्न का उत्पादक स्थित है, को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के पश्चात दूसरे माह की दस तारीख तक या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल “www.txcindia.gov.in” के माध्यम से भेजेगा I

4. बाध्यता का विस्तार एवं उसकी पूर्ति. – (1) यार्न का प्रत्येक उत्पादक जो घरेलू खपत के लिए यार्न पैक करता है वह जुलाई से सितंबर, 2026 की अवधि से शुरु होने वाली प्रत्येक त्रैमासिक अवधि एवं प्रत्येक अनुवर्ती त्रैमासिक अवधि में हैंक्र रुप में उतना यार्न पैक करेगा, जो नागरी उपभोग हेतु प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के दौरान उसके द्वारा पैक किये गए कुल यार्न के अनुपात में 20% (बीस प्रतिशत) से कम न हो;

बशर्ते कि कि हैंक रुप में पैक किया जाने वाले यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 80 एवं उससे कम काउंट का होगा।

(2) यार्न बनाने वाला कोई उत्पादक जो किसी भी वजह से यार्न को हैंक के रूप में पैक नहीं कर पाता है या जिसके पास उप-पैराग्राफ (1), के अनुसार बताए गए अनुपात तक यार्न को हैंक के रूप में पैक करने की रीलिंग क्षमता नहीं है, वह इस नियम के तहत अपनी ज़िम्मेदारी को इस तरह पूरा करेगा:-

(क) यार्न बनाने वाला कोई उत्पादक, संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग और वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय की लिखित मंज़ूरी से, अपने यार्न को हैंक के रूप में रीलिंग का काम किसी ऐसे दूसरे उत्पादक से करवा सकता है जिसके पास अतिरिक्त रीलिंग सुविधा हो, या फिर किसी ऐसी स्वतंत्र रीलिंग इकाई से करवा सकता है जो वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज हो।

(ख) (i) जो यार्न उत्पादक इस सुविधा का लाभ उठाता है, उसे हर संबंधित तिमाही अवधि के लिए, वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में 'फॉर्म-A' जो इस नोटिफ़िकेशन के साथ संलग्न है, में एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा। यह प्रमाणपत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए और इसे इस अधिसूचना के साथ जुड़े परिशिष्ट – I में तिमाही हैंक यार्न पैकिंग विवरणी के साथ जमा करना होगा।

या

(ii) यार्न के उत्पादक (अंतरितक कहा जाएगा) की एक विशिष्ट त्रैमासिक अवधि की कमी की पूर्ति अन्य उत्पादक (अंतरिती कहा जाएगा) द्वारा अंतरिती की स्वयं की हैंक यार्न बाध्यता वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की संतुष्टि तक पूर्ण होने के बाद की जाएगी तथा इसके संबंध में सूचना अंतरितक द्वारा इस अधिसूचना को संलग्न परिशिष्ट-II में वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के पश्चात दूसरे माह के अंत तक या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल “www.txcindia.gov.in” के माध्यम से भेजी जाएगी।

5. बाध्यता को आगे बढ़ाना. – यदि हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कमी जिसका मतलब है कि सकल हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता या मोटे काउंट की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता 15% (पंद्रह प्रतिशत) या उससे कम हो तथा उस बाध्यता को उसी त्रैमासिक अवधि में पूरा कर पाना संभव न हो तो उक्त हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की कमी को ठीक अगली तिमाही अवधि में उसकी स्वयं की पैकिंग से अथवा हस्तांतरण द्वारा उक्त त्रैमासिक अवधि में पूरा किया जाना चाहिए ।

6. अतिरिक्त पैकिंग को आगे बढ़ाना. – त्रैमासिक अवधि के अतिरिक्त हैंक यार्न पैकिंग को ठीक अगली त्रैमासिक अवधि में उसी मिल द्वारा स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की कमी को पूरा करने के उददेश्य से आगे बढाया जा सकता है I परंतु किसी दूसरे अंतरितक मिल की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता को पूरा करने अथवा किसी दूसरे उददेश्य या दूसरी त्रैमासिक अवधि के लिए नहीं लिया जा सकता।

7. हस्तांतरण द्वारा बाध्यता की पूर्ति. – (1) अंतरितक मिल को हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की कमी अंतरिती मिल की उसी अवधि के लिए हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता द्वारा पूरा किया जाएगा ।

(2) यदि कोई मिल उसकी स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से अधिक हैंक यार्न पैक करता है और निश्चित समय में इस अधिसूचना के अंतर्गत विहित परिशिष्ट-I में त्रैमासिक विवरण जमा नहीं करता वह हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कमी वाली अंतरितक मिलों की बाध्यता में कमी को नहीं ले सकता, यदि वह त्रैमासिक विवरणी देरी से जमा करता है चाहे इस देरी को माफ किया गया हो अथवा नहीं।

8. छूट. – (1) संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचना अथवा आदेश द्वारा "रिलिफ अंडरटेकिंग" घोषित कताई मिल, अधिसूचना अथवा आदेश में दी गई विहित अवधि के लिए हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से छूट की पात्र होंगी ।

(2) राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचना द्वारा "रिलिफ अंडरटेकिंग" घोषित कताई मिल, उक्त की प्रमाणित प्रति वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई के फाइबर डिवीजन को जिसकी एक प्रति वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को उक्त आदेश/अधिसूचना जारी होने के एक माह के भीतर दें I ऐसा न करने पर, हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की यह छूट केवल उक्त प्राधिकारियों को जमा किए जाने वाले दिन से प्रभावी होगी ।

(3) इस उपबंध के अंतर्गत कताई मिल को हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता से छूट होने के बावजूद, उनसे इस अधिसूचना के अनुच्छेद 3 के संबंध में हैंक यार्न पैकिंग विवरणी परिशिष्ट –I में भरकर भेजना अपेक्षित है।

9. सूचना देने का कर्तव्य. – (1) कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के उपबंधो से बचने, इस अधिसूचना के तहत विधिपूर्वक मांगी गई कोई सूचना देने से मना करने अथवा छिपाने, नष्ट करने, अथवा इस कार्य के दौरान रखे गए किसी वस्तु, कागजात अथवा पुस्तकों को विकृत अथवा विरुप नहीं कर सकेगा I

(2) इस तरह का कोई भी लोप तथा आचरण, इस अधिसूचना सपठित वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, यथा संशोधित, के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा।

10. व्यावृत्तियाँ. – दिनांक 17 अप्रैल 2003 की हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003 के अधिक्रमण के बावजूद भी उक्त अधिसूचना के अधीन किसी जारी आदेश, कुछ भी किया हुआ या की गई कोई भी कार्रवाई या प्रोदभूत अधिकार या लगा हुआ दण्ड या कोई जारी निदेश या जारी सूचना या प्रदान की गई छूट अथवा भविष्य में बनाया जाने वाला, किया जाने वाला, लिया जाने वाला, प्रोदभूत, लगा हुआ, जारी या स्वीकृत, किया जाने वाला जैसा भी मामला हो को उक्त अधिसूचना द्वारा किया गया, बनाया गया, किया गया, लिया गया, प्रोदभूत, लगा हुआ, इस अधिसूचना के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत जारी अथवा स्वीकृत माना जाएगा।

टिप्पणी: यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2026 से लागू होगी और 30 जून, 2029 को समाप्त हो जाएगी, सिवाय उन कामों के जो इस समाप्ति से पहले किए गए थे या नहीं किए गए थे।

[फा. सं. 8/टीडीआरओ/8/2026]

वृंदा मनोहर देसाई, वस्त्र आयुक्त

परिशिष्ट - I

त्रैमासिक हैंक यार्न पैकिंग विवरणी

(पैराग्राफ **3** देखें)

भाग 1 - पहचान के विवरण

1. वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी मिल के सिरीयल नं. या टीयूआईडी संख्या

____

2. मिल का नाम एवं पता

____

____

3. कताई अथवा कंपोजिट यूनिट

____

4. प्रबंधन का स्वरूप (एन टी सी या एस टी सी या सहकारी या निजी या अन्य)

____

त्रैमासिक विवरणी ________________________________ को समाप्त अवधि हेतु है।

भाग 2 - सूती (कॉटन) यार्न के उत्पादन, पैकिंग एवं हैंक यार्न बाध्यता का विवरण

(कि.ग्रा.में)

1.	**पूर्णत: रूई या उसके अपशिष्ट से बनाए गए या काते गये यार्न से उत्पादित एवं पैक किया गया कुल कॉटन यार्न**	
2.	**उस कॉटन यार्न का पैकिंग विवरण (मात्रा) जो इस हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना के अन्तर्गत न आता हो या उससे छूट प्राप्त हो (प्रत्येक मद की पुष्टि में दस्तावेज रखें जाएं)**	
क)	होजियरी यार्न	
ख)	सिलाई के धागे	
ग)	औद्योगिक यार्न	
घ)	विभिन्न काउण्टों के मिश्रित यार्न, जो कॉप बाटम से रील ऑफ किये गये हों	
च)	सिंगल काउंट का यार्न जिसे कॉप बॉटम से रील ऑफ किया गया हो जिसके छोर खुले हो अथवा कम लम्बाइयों पर गाँठें हों	
छ)	भारत से बाहर निर्यात किया गया यार्न	
ज)	यार्न की आपूर्ति जिसे निर्यात माना (डीम्ड एक्सपोर्ट) गया हो (जैसा कि आयात – निर्यात नीति में परिभाषित किया गया है)	
झ)	ऐसे यार्न जिन्हें स्वयं उपभोग किया गया हो।	
ट)	कुल छूट प्राप्त यार्न [स्तंभ सं.(क) से (झ) तक]	
3.	**घरेलू खपत के लिए पैक किया गया कॉटन यार्न (बाध्यकारी किस्में) (1-2)**	

भाग 3 - घरेलु खपत के लिए पैक किया गया सूती (कॉटन) यार्न (बाध्यकारी किस्में)

(कि.ग्रा. में)

4. घरेलु खपत के लिए पैक किया गया कॉटन यार्न (बाध्यकारी किस्में)				
पैकिंग का प्रकार या विवरण		**पूर्ण रूई से युक्त यार्न या उसके अपशिष्ट से तैयार यार्न**		
		80 एस काउण्ट एवं कम	**80 एस से अधिक काउण्ट**	**योग [(1) + (2)]**
0		**(1)**	**(2)**	**(3)**
(क)	हैंक (बाहर से हैंक रूप में रील किए गए यार्न सहित)			
(ख)	कोन या चीज, पर्न, बीम इत्यादि			
(ग)	घरेलु खपत के लिए पैक की गयी कुल कॉटन यार्न की मात्रा [(क)+(ख)]			
(घ)	हैक यार्न पैकिंग बाध्यता (है.या.पै.बा.)			
(च)	हैक यार्न पैकिंग बाध्यता पूर्ण करने में हुई कमी [(घ)-(क)]			
छ)	स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पूर्ण करने के बाद की अधिक मात्रा [(क)-(घ)]			
ज)	कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)			

भाग 4 - कुल बेचे गए हैंक यार्न का विवरण (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)

(कि.ग्रा. में)

5. कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमें वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया)			**80 एस काउण्ट एवं कम**	**80 एस से अधिक काउण्ट**	**कुल [(1)+(2)]**
			(1)	**(2)**	**(3)**
(क)	घरेलु स्तर पर बेचा गया हैंक यार्न	एनएचडीसी			
		निजी पार्टियाँ जिसमें निर्यातक शामिल हैं			
		अपेक्स या सहकारी सोसायटियाँ			
(ख)	हैंक यार्न जिसका भारत के बाहर निर्यात किया गया				
(ग)	**कुल बेचा गया हैंक यार्न (इसमे वह हैंक यार्न शामिल है जो बेचा गया किन्तु उठाया नहीं गया) [(क)+(ख)]**				

भाग 5 - हैंक यार्न का भंडारण

(कि.ग्रा.में)

6. हैंक यार्न का भंडारण								
माह (1)		**बिक्री न किया गया माल (2)**			**बिक्री किया गया किन्तु उठाया न गया भंडारण (3)**			**कुल भंडारण [(2)+(3)]**
		80 एस काउण्ट एवं कम	**80 एस से अधिक काउंट**	**कुल**	**80 एस काउण्ट एवं कम**	**80 एस से अधिक काउंट**	**कुल**	**(4)**
(क)	तिमाही के पहले माह के अंतिम दिन भंडारण							
(ख)	तिमाही के दूसरे माह के अंतिम दिन भंडारण							
(ग)	तिमाही के तीसरे माह के अंतिम दिन भंडारण							

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त ब्यौरे सही एवं यथार्थ है। हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्ति के लिए परिशिष्ट – II वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि, जिसके लिए परिशिष्ट – I को जमा किया गया है, की समाप्ति के दूसरे माह की समाप्ति तक या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल “www.txcindia.gov.in” के माध्यम से जमा किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (मिल के प्रबंधक) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए हैं तथा मेरी (चार्टड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंड) जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही एवं यथार्थ है।

मिल के प्रोप्राइटर या भागीदार या प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं तिथि
(मिल का नाम, पता, संपर्क विवरण एवं मिल की मुहर)

चार्टड अकाउंटेंट अथवा कास्ट अकाउंटेंट के हस्ताक्षर एवं तिथि
(चार्टड अकाउंटेंट अथवा कास्ट अकाउंटेंट का नाम, पता, संपर्क विवरण एवं पंजीयन संख्या)

टिप्पणी: परिशिष्ट –I को वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के दूसरे माह की 10 तारीख तक या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया जाए।

फार्म – ए

[पैराग्राफ 4 का उप-पैराग्राफ 2 देखें]

हैंक यार्न के बाहर से रीलिंग का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ………………………………………………… तिमाही के दौरान मेसर्स ……………………………………………………………………. द्वारा उत्पादित यार्न की निम्नोक्त मात्रा मेसर्स ………………………………………….. द्वारा ………………………………………………… स्थित (पूरा पता) वस्तू एवं सेवा कर विभाग के दिनांक …………………. के पत्र सं. ………………………………………. (प्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त समुचित अनुमति के साथ तथा वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय ………………………………………. के दिनांक ………………………….. के पत्र सं. …………………………………………………… के तहत रील की गई है।

(कि.ग्रा. में)

अनु. क्र.	हैंक फार्म में रीलिंग के उद्देश्य से बाहर भेजा गया यार्न				स्तंभ 5 में उल्लिखित यार्न में से हैंक फार्म में पैंक की गई यार्न की मात्रा		
	यार्न की श्रेणी या प्रकार	80 एस और उससे कम काउंट में	80 एस से अधिक काउंट में	योग	80 एस और उससे कम काउंट में	80 एस से अधिक काउंट में	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कोन						
2.	चीज						
3.	कॉप्स						

(जिन मिलों ने यार्न का उत्पादन किया है, उनके प्रोप्रायटर या भागीदार या निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तिथि सहित कंपनी या फर्म की मुहर)

(उस रिलिंग इकाई के जिसने अन्य प्रकार का यार्न हैंक फार्म में रील किया है उनके प्रोप्रायटर या भागीदार या निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता के हस्ताक्षर तिथि सहित कंपनी या फर्म की मुहर)

(चार्टर्ड अकाउंटेट या कास्ट अकाउंटेंट जैसा भी मामला हो, के दिनांक, मुहर तथा पंजीयन सं. के साथ हस्ताक्षर)

परिशिष्ट – II

हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता अंतरण के लिए आवेदन

[पैराग्राफ 4 का उप-पैराग्राफ 2 देखें]

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,

____

महोदय,

दिनांक 15.06.2026 की हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं.8/टीडीआरओ/8/2026 के अंतर्गत .... त्रैमासिक अवधि के दौरान जन उपयोग के लिए हम (अंतरितक) से हैंक रुप में (हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता) .... कि.ग्रा. अपेक्षित था। जबकि हमने .... कि.ग्रा. यार्न हैंक रुप में पैक किया तथा अन्य अंतरिती मिल (मिलों) का .... कि.ग्रा. हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पहले ही स्थानांतरित की है। अब हम अंतरितक का .... त्रैमासिक अवधि के लिए हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता पूरी करने के लिए .... कि.ग्रा. की कमी आई है। अत: हमने अंतरिती मिल (मिलों) मेसर्स .... जिनके पास .... त्रैमासिक अवधि के लिए स्वयं की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की पूर्ति के बाद पैकिंग का अधिक्य था, के साथ सम्पर्क किया। हमने अंतरिती मिल (मिलो) से इस बात की पुष्टि भी की है कि उन्होने वर्तमान त्रैमासिक अवधि के लिए परिशिष्ट-I वस्त्र आयुक्त के अधिकारक्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया है। अंतरितक मिल (मिलों) द्वारा हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता के अंतरण का विवरण तथा अंतरिती मिल (मिलों) की अतिरिक्त हैंक यार्न पैकिंग का विवरण निम्नानुसार है:-

I. अंतरितक मिल की क्रम सं. या टीयूआईडी संख्या: [ ]

(कि.ग्रा. में)

क्र. सं.	मद सं.	अंतरितक मिल का विवरण मेसर्स ……………………………………..	पूर्ण रुई यार्न	80 एस काउंट एवं कम (कालम 2 के मामले में)
0	00	1	2	3
1	010101	कुल हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता		
2	010201	पैक हैक यार्न (स्वयं की पैकिंग द्वारा बाहर से रील किए यार्न सहित)		
3	010202	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की अब तक की स्थानांतरित मात्रा		
4	010203	योग - क्र.सं. (2 + 3)		
5	010301	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता की अब स्थानांतरित होने वाली मात्रा		
6	010401	हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता में कुल कमी, यदि कोई – क्र.सं. [1-(4+5)]		

II. अंतरिती मिल क्रम सं. या टीयूआईडी संख्या:

(कि.ग्रा. में)

क्र. सं.	मद सं.	अंतरिती मिल का विवरण मेसर्स ……………………………………..	पूर्ण रुई यार्न	80 एस काउंट एवं कम (कालम 2 के मामले में)
0	00	1	2	3
1	020101	कुल हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता		
2	020201	पैक हैक यार्न (स्वयं की पैकिंग द्वारा बाहर से रील किए यार्न सहित)		
3	020301	कुल अधिक पैक हैंक यार्न क्र.सं.(2-1)		
4	020401	अब तक ली गई मिल (मिलों) या उत्पादक (उत्पादकों) की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता		
5	020501	अब ली गई उपरोक्त अंतरितक मिल (मिलों) की हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता		
6	020601	पैक हैक यार्न का बचा (शेष) यदि कुछ हो क्र.सं. [3-(4+5)]		

हम अंतरिती मिलौं ने ………………………………………….. त्रैमासिक अवधि के लिए परिशिष्ट-I वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया है।

हम अंतरितक एवं अंतरिती मिल उपरोक्त व्यवस्था से सहमत हैं तथा अनुरोध है कि कृपया हमें उपरोक्त अंतरितक मिल की उपरोक्त हैंक यार्न पैकिंग बाध्यता के अंतरण के लिए पंजीकरण पत्र जारी करें।

हम यह भी प्रमाणित करते है कि जहां तक हमें ज्ञान है एवं विश्वास है, उपरोक्त प्रस्तुत ब्यौरे सही एवं यथार्थ हैं I हम पूर्ण रुप से जानते है कि यदि उपर दी कोई भी जानकारी किसी भी समय गलत पाई गई तो वस्त्र आयुक्त के अधिकारक्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण पत्र वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा हमारे विरुध्द अलग-अलग अथवा संयुक्त रुप से कार्रवाई के लिए बिना किसी पुर्वाग्रह के रद्द समझा जाएगा।

सधन्यवाद,

भवदीय,

अंतरितक मिल के प्रोप्राएटर या भागीदार या प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तिथि सहित हस्ताक्षर

(मिल का पूर्ण पता दूरभाष सहित ।)

अंतरिती मिल के प्रोप्राएटर या भागीदार या प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के तिथि सहित हस्ताक्षर

(मिल का पूर्ण पता दूरभाष सहित ।)

चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकांउटेंट का प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते है कि अंतरितक एवं अंतरिती प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी वस्तु एवं सेवा कर के दस्तावेजों एवं उनके द्वारा अन्य रखे गए संबंधित रिकाडों के मेल में है ।

अंतरितक मिल के चार्टर्ड अकाउंटेंड या कॉस्ट अकाउंटेंड के तिथि सहित हस्ताक्षर
(नाम, पंजीयन संख्या, दूरभाष एवं मुहर सहित)

अंतरिती मिल के चार्टर्ड अकाउंटेंड या कॉस्ट अकाउंटेंड के तिथि सहित हस्ताक्षर
(नाम, पंजीयन संख्या, दूरभाष एवं मुहर सहित)

टिप्पणी : अंतरितक मिल द्वारा परिशिष्ट-II वस्त्र आयुक्त के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रीय कार्यालय को संबंधित त्रैमासिक अवधि की समाप्ति के दूसरे माह के अंत तक ऑनलाइन पोर्टल "www.txcindia.gov.in" के माध्यम से जमा किया जाए।

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Textile Commissioner)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2026

S.O. 3189(E).— WHEREAS, the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001 (hereinafter referred to as the said Order) has been issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

AND WHEREAS, Handloom Sector is an important source of livelihood in rural and semi-rural areas of the country and the said order empowers the Textile Commissioner appointed by the Central Government to make statutory provisions for the protection of the handloom industry by way of ensuring that the yarn in hank form is available in adequate quantity at reasonable prices to the handloom industry and for that purpose, secure compliance to the said statutory provisions by the textiles industry, all the concerned associations, federations, firms, persons, non-governmental organizations, councils, bodies, co-operatives and public sector undertakings, etc.;

AND WHEREAS, a notification in exercise of the power conferred by clauses 8 and 11 of the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001 was issued vide Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003, which was published in the Gazette of India Part-I - Section 1, dated 21.04.2003 and same was amended vide Notification No. 04/TDRO/8/2010 dated 31.03.2010, Notification No. 05/TDRO/8/2015 dated 02.09.2015, Notification No. 06/TDRO/8/2018 dated 25.05.2018 and Notification No. 7/TDRO/6/2019 dated 07.03.2019;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by clauses 8 and 11 of the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001 and in supersession of Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003, except as respects things done or omitted to be done before the such supersession, the Textile Commissioner, with the prior approval of the Central Government and in public interest, hereby issues the following directions for compliance of the Textile Industry, namely: –

2. Definitions. – In this notification, unless the context otherwise requires, -

(a) "captive consumption" means the consumption of yarn used by a producer of yarn for producing cloth in the weaving or loom shed or knitting department of such producer;

(b) "quarterly period" means a period from July to September or October to December or January to March or April to June in a year;

(c) "transferee mill" shall means the mill which has packed hank yarn in excess of its own obligation and seeks to accept, to the extent of such excess packing, the obligation on account of another mill with a shortfall in fulfilment of its hank yarn packing obligation;

(d) "transferor mill" shall means the mill which has a shortfall in the fulfilment of its hank yarn packing obligation and seeks to fulfil the said shortfall by transfer of obligation to another mill which has packed hank yarn in excess of its own obligation;

(e) "yarn" shall means, yarn made or spun wholly out of cotton or its waste but does not include the following, namely: –

(i) hosiery yarn;

(ii) sewing thread;

(iii) industrial yarns, like tyre cord, multiple yarn (more than 2 ply yarn), as defined by the Bureau of Indian Standards from time to time;

(iv) mixed yarn of various counts reeled off from cop bottoms and yarn comprising single count yarn reeled off from cop bottoms having loose ends or knots at short lengths;

(f) "yarn packed for domestic consumption" shall means, the yarn packed for sale in the domestic market and includes the following, namely: –

(i) in the case of a producer of both yarn and cloth, the yarn packed for delivery, transfer and sale in India other than exports and deemed exports as defined in the Export and Import Policy in force, in excess of the yarn used for captive consumption, irrespective of whether the spinning, weaving or knitting units or departments are located in the same premises or not;

(ii) in the case of a producer of only yarn, the yarn packed by him for delivery, transfer and sale in India other than exports and deemed exports as defined in the Export and Import Policy in force;

(g) the words and expressions used in this notification not defined but defined in the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001 shall have the same meanings respectively assigned to them in that Order.

3. Submission of quarterly return. – Every producer of yarn shall furnish true and accurate information regarding packing of yarn in compliance of the provisions as per Annexure-I appended to this notification to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner under whose jurisdiction such producer of yarn is located, so as to reach the said office on or before the 10th of the second month after expiry of each quarterly period through the online portal on "www.txcindia.gov.in".

4. Extent of obligation and fulfilment thereof. – (1) Every producer of yarn who packs yarn for domestic consumption shall pack yarn in hank form in each quarterly period commencing from July to September, 2026 and in every subsequent quarterly period, in proportion of not less than 20% (twenty per cent) of total yarn packed by him during each quarterly period for domestic consumption:

Provided that not less than 80% (eighty per cent) of the yarn required to be packed in hank form shall be of counts 80s and below.

(2) A producer of yarn who is unable to pack yarn in hank form for any reason or who does not have reeling capacity to pack yarn in hank form, up to the extent of proportion specified in accordance with sub-paragraph (1), shall fulfil his obligation under this paragraph in the following manner, namely:-

(a) a producer of yarn, with the written permission of the concerned Goods and Services Tax (GST) Department and the Regional Office of the Textile Commissioner, shall get his yarn reeled into hank form, by another producer having surplus reeling facility or through independent reeling unit which is in the records of the respective Regional Office of the Textile Commissioner.

(b) (i) a producer of yarn who avails of this facility shall furnish a certificate in 'Form-A' appended to this notification, duly certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant, to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner along with the quarterly hank yarn packing return, in Annexure-I, appended to this notification, for every concerned quarterly period.

or

(ii) the shortfall in respect of one producer of yarn (called as the transferor) for a particular quarter shall be met by another producer (called as the transferee) after fulfilling the transferee's own hank yarn packing obligation to the satisfaction of the concerned Regional Office of the Textile Commissioner, and the information shall be furnished by the transferor in Annexure-II appended to this notification to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner, on or before the end of the second month after the expiry of each quarterly period through the online portal on "www.txcindia.gov.in"

5. Carry forward of obligation. – If the shortfall in hank yarn packing obligation that is, the overall hank yarn packing obligation or coarser counts of hank yarn packing obligation is 15% (fifteen per cent) or less than 15% (fifteen per cent), and it is not possible to fulfill the same by transfer of obligation within the same quarterly period, the said shortfall hank yarn packing obligation may be carried forward to the immediately following quarterly period and the same shall be fulfilled in the said quarterly period either by own packing or by transfer.

6. Carry forward of excess packing. – The surplus hank yarn packing in a quarterly period may be carried forward by a mill only to the immediately following quarterly period for the purposes of fulfilment of its own shortfall in hank yarn packing obligation in the said quarterly period, but not for undertaking hank yarn packing obligation of a transferor mill or for any other purpose or for any other quarterly period.

7. Fulfilment of obligation by transfer. – (1) The fulfillment of shortfall hank yarn packing obligation by a transferor mill for any quarterly period shall be against the hank yarn packing of the transferee mill in excess of its own obligation in the same quarterly period only.

(2) If a mill which packed hank yarn more than its own hank yarn packing obligation, fails to submit the quarterly return in Annexure – I within the due date specified in this notification, such mill, shall not be eligible for undertaking shortfall hank yarn packing obligation of any transferor mill even if it submits the quarterly returns later and irrespective of whether the delay in submission of the said quarterly return is condoned or not.

8. **Exemption.** – (1) A spinning mill declared through an appropriate notification or order as a 'relief undertaking' by the concerned State Government shall be exempted from the fulfilment of hank yarn packing obligations for the period specified in such notification or order.

(2) The spinning mill declared as 'relief undertaking' shall, submit a certified copy of such order or notification of

the State Government to the Fibre Division of the Office of the Textile Commissioner, Mumbai, with a copy to the jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner within a period of one month from the date of such notification or order, failing which, the exemption from fulfilment of the hank yarn packing obligations shall be admissible from the actual date of submission thereof to the aforesaid authorities.

(3) Notwithstanding the fact that a spinning mill has been exempted from fulfillment of hank yarn packing obligation under this paragraph, it shall be required to furnish the Hank Yarn Packing Return in Annexure-I in accordance with paragraph 3 of this notification.

9. Duty to give information. – (1) No person shall, with an intent to evade the provisions of this notification, refuse to give any information lawfully demanded from him in terms of this notification or conceal, destroy, mutilate or deface any book or other documents or articles kept by him in the course of his business.

(2) Any such acts of omission or commission shall constitute a violation of the provisions of this notification read with the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001 and the Essential Commodities Act, 1955.

10. Savings. – Notwithstanding the supersession of the Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated the 17th April, 2003, any Order made, anything done or any action taken or rights accrued or penalty incurred or any direction made or notice issued or exemption granted or deemed to have been made, done, taken, accrued, incurred, issued or granted, as the case may be, under the said notification shall be deemed to have been made, done, taken, accrued, incurred, issued or granted under the corresponding provisions of this notification.

Note: This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2026 and shall cease to have effect on the 30th day of June, 2029, except as respects things done or omitted to be done before such cesser.

[F. No. 8/TDRO/8/2026]

VRUNDA MANOHAR DESAI, Textile Commissioner

ANNEXURE-I
QUARTERLY HANK YARN PACKING RETURN

(See paragraph 3)

Part 1 - Identification Particulars

1. Mill's Serial No. or TUID issued by Office of the Textile Commissioner ______________________________

2. Mill's Name and address ____

____

3. Whether Spinning or Composite unit ____

4. Nature of Management (NTC or STC or Co-operative or Private or Others) _____________________________

5. Quarterly return pertaining to the period ending on ____

Part 2 - Details regarding Cotton Yarn Production, Packing Details and Hank Yarn Obligation

(in Kg.)

1.	**Total Cotton yarn produced and packed in regard to yarn made or spun wholly from cotton or its waste.**	
2.	**Packing details (quantity) of Cotton yarn exempted from or not falling within the purview of this Notification (supporting documents should be maintained for each item)**	
(a)	Hosiery yarn	
(b)	Sewing thread	
(c)	Industrial yarns	
(d)	Mixed yarn of various counts reeled off from cop bottoms	
(e)	Yarn comprising single count yarn reeled off from cop bottom having loose ends or knots at short lengths	
(f)	Yarn exported out of India	
(g)	Yarn delivered as deemed exports (as defined in Export and Import Policy)	
(h)	Yarn used for captive consumption	
(i)	Total yarn exempted [Row Nos. (a) to (h)]	
3.	**Cotton yarn packed for domestic consumption (obligatory varieties) (1-2)**	

Part 3 - Cotton Yarn Packed for Domestic Consumption (Obligatory Varieties)

(in Kg.)

4. Cotton Yarn packed for domestic consumption (obligatory varieties)			
Description or Form of packing	**Yarn made or spun wholly from cotton or its waste**		
	Count 80s & below	**Count above 80s**	**Total [(1)+(2)]**
(0)	**(1)**	**(2)**	**(3)**
(a) Hank (including yarn reeled into hank form from outside reelers)			
(b) Cone or Cheese, Pirns, Beam, etc.			
(c) Total quantity of cotton yarn packed for domestic consumption [(a)+(b)]			
(d) Hank Yarn Packing Obligation (H.Y.P.O.)			
(e) Shortfall in fulfilment of hank yarn packing obligation [(d)-(a)]			
(f) Excess hank yarn packing after fulfilling own obligation [(a)-(d)]			
(g) Total hank yarn sold (including hank yarn sold but not lifted)			

Part 4 - Details of Total Hank Yarn Sold (including hank yarn sold but not lifted)

(in Kg.)

5. Details of total hank yarn sold (including hank yarn sold but not lifted)		**Count 80s & below**	**Count above 80s**	**Total [(1)+(2)]**
		(1)	**(2)**	**(3)**
(a) Hank Yarn sold domestically	NHDC			
	Private parties including exporter			
	APEX or Co-operative societies			
(b) Hank Yarn exported out of India				
(c)**Total hank yarn sold (including hank yarn sold but not lifted) [(a) + (b)]**				

Part 5 - Stock of Hank Yarn held

(in Kg.)

6. Stock of Hank Yarn held							
Month (1)	**Unsold stock (2)**			**Stock sold but not lifted (3)**			**Total Stock [(2)+(3)] (4)**
	Count 80s & below	**Count above 80s**	**Total**	**Count 80s & below**	**Count Above 80s**	**Total**	
(a) Stock on last day of the 1st month of the quarter							
(b) Stock on last day of the 2nd month of the quarter							
(c) Stock on last day of the 3rd month of the quarter							

Certified that the particulars furnished above are true and correct. For fulfilment of shortfall Hank Yarn Packing Obligation, the Annexure –II shall be submitted through online portal on "www.txcindia.gov.in" so as to reach jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner on or before the end of the second month after the expiry of quarterly period for which this Annexure-I is submitted.

Certified that the particulars furnished above are verified and found to be true and correct to the best of my (Mills management) knowledge and belief

Signature (with date) of the Proprietor or Partner or Managing Director or Director or Authorised Signatory of the mill.
(Name, Address, Contact Details and Seal of the Mill)

Certified that the particulars furnished above are verified and found to be true and correct to the best of my (Chartered Accountant's or Cost Accountant's) knowledge and belief.

Signature (with date) of the Chartered Accountant or Cost Accountant (with Name, Address, Contact Details and Enrolment number of Chartered Accountant or Cost Accountant)

Note: The Annexure-I, is to be submitted to the jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner so as to reach the said offices on or before the 10th of the second month after the expiry of the concerned quarterly period through the online portal on "www.txcindia.gov.in".

FORM-A

[See sub-paragraph 2 of paragraph 4]

CERTIFICATE OF REELING OF HANK YARN FROM OUTSIDE

"Certified that the following quantity of yarn produced by M/s……………………………………………………… during the quarterly period …………………, has been got reeled into hank form through M/s………………………………………, located at (full address) ………………………………………. with the due permission of the Goods and Services Tax Department vide letter No………………………………..…… dated .... (copy enclosed), and the Regional Office of the Textile Commissioner, …………………….., vide letter No…………………..………………… dated... "

(Quantity in Kg.)

Sr. No.	Yarn sent outside for the purpose of reeling into hank form				Quantity of yarn packed in hank form out of the yarn mentioned at Col. No.5		
	Category or form of yarn	In counts 80s and below	In counts above 80s	Total	In counts 80s and below	In counts above 80s	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Cone						
2.	Cheese						
3.	Cops						

(Signature of the Proprietor or Partner or Director or Managing Director or Authorised Signatory of the mills who produce yarn, with date)

(Signature of the Proprietor or Partner or Director or Managing Director or Authorised Signatory of the reeling unit who reeled the other form of yarn into hank form, with date)

Seal of the Company or firm

Seal of the Company or firm

(Signature with date, seal and
Enrollment number of the Chartered Accountant or Cost Accountant, as the case may be)

ANNEXURE –II

Application for transfer of Hank Yarn Packing Obligation

[See sub-paragraph 2 of paragraph 4]

To
The Officer-In-Charge,
Regional Office of the Textile Commissioner,
______________________.

Sir,

In terms of the Hank Yarn Packing Notification No. 8/TDRO/8/2026 dated 15th June, 2026, we (transferor) were required to pack ______ kgs. of yarn for domestic consumption in hank form (Hank Yarn Packing Obligation) during the quarterly period _________________. Whereas we have packed _____ kgs. of yarn in hank form and already transferred _____ kgs of Hank Yarn Packing Obligation of the said quarterly period to other transferee mill(s). Now, we the transferor, have shortfall to the extent of _____ kgs. in fulfillment of the Hank Yarn Packing Obligation for the quarter__________________. We, therefore, approached the transferee mill M/s _____________________________________who have got excess hank yarn packing during the current quarter _________ after fulfilling their own Hank Yarn Packing Obligation for transfer of our shortfall Hank Yarn Packing Obligation for the quarter ______________. We have also confirmed from transferee Mill (s) that they have submitted Annexure–I for the current quarter ___________________ to their jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner through online portal on "www.txcindia.gov.in" within due date specified in this notification. The particulars of transfer of Hank Yarn Packing Obligation by the transferor mill and the particulars of excess hank yarn packing by the transferee mill (s) are furnished below:

I. Mill Serial No. or TUID of Transferor :

(in kg.)

Sr. No.	Item No.	Particulars of transferor mill M/s _____________	Wholly Cotton Yarn	Counts 80s and below (In case of Column 2)
0	00	1	2	3
1	010101	Total Hank Yarn Packing Obligation		
2	010201	Hank yarn packed (by own packing including yarn reeled from outside reelers)		
3	010202	Quantity of Hank Yarn Packing Obligation transferred so far		
4	010203	Total of (2) + (3)		
5	010301	Quantity of Hank Yarn Packing Obligation now being transferred		

Sr. No.	Item No.	Particulars of transferor mill M/s ____________	Wholly Cotton Yarn	Counts 80^s and below (In case of Column 2)
0	00	1	2	3
6	010401	Net further shortfall of Hank Yarn Packing Obligation, if any, Sr. No. [1-(4+5)]		

I. Mill Serial No. or TUID of Transferee: [ ]

(in kg)

Sr. No.	Item No.	Particulars of transferee mill M/s ____________	Wholly Cotton Yarn	Counts 80^s and below (In case of Column 2)
(0)	(00)	(1)	(2)	(3)
1	020101	Total Hank Yarn Packing Obligation		
2	020201	Hank yarn packed (by own packing including yarn reeled from outside reelers)		
3	020301	Excess hank yarn packed Sr. No. (2 - 1)		
4	020401	Hank Yarn Packing Obligation of other mill or producer so far undertaken		
5	020501	Hank Yarn Packing Obligation of above transferor mill now being undertaken		
6	020601	Remaining (balance) excess, hank yarn packed, if any Sr. No. [3-(4+5)]		

We, the transferee mills have submitted Annexure – I for the current quarter _________ to our jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner ________ through online portal on "www.txcindia.gov.in" within due date specified in this notification.

We the transferor and transferee mills agree with the above arrangement and request you to kindly issue us the registration letter for transfer of above Hank Yarn Packing Obligation of above transferor mill.

We further certify that the particulars furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief. We fully understand that, if any of the information furnished above is found incorrect at any point of time, the registration letter issued by the jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner shall stand null and void without prejudice to any action that may be initiated against us severally or jointly, by the Office of the Textile Commissioner.

Thanking you,

Yours faithfully,

Signature (with date) of Proprietor or Partner or Managing Director or Authorised Signatory of transferor mill (with full address and phone number of the mill).

Signature (with date) of Proprietor or Partner or Managing Director or Director or Authorised Signatory of transferee mill (with full address and phone number of the mill).

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT OR COST ACCOUNTANT

We certify that the above information furnished by the transferor and the transferee mills tally with the Goods and Services Tax documents and other relevant records maintained by them.

Signature (with date) of the Chartered Accountant or Cost Accountant of transferor mill (with Name and Enrolment number, phone number and seal).

Signature (with date) of the Chartered Accountant or Cost Accountant of transferee mill (with Name and Enrolment number, phone number and seal).

Note: The Annexure–II, is to be submitted by the transferor mill to the jurisdictional Regional Office of the Textile Commissioner, so as to reach the said offices on or before the end of the second month after the expiry of the concerned quarterly period through online portal on "www.txcindia.gov.in".

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA